बिहार सरकार,

लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– 5296 पटना, दिनांक 23-11-2018

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/
अधीक्षण अभियंता/
कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग।

विषयः–**सभी राजकीय नलकूपों को पंचायतों को देने के निमित के लिए किसी प्रक्रिया के चलते विचाराधीन टेंडरों के सम्बन्ध में।**

महाशय,

दिनांक–20.11.2018 की राज्यस्तरीय बैठक में आप सबसे यह विमर्श हुआ था कि विभाग सभी राजकीय नलकूपों/आहरों को पंचायती राज संस्थानों के जिम्मे सौंपने पर विचार कर रही है। बंद पड़े नलकूपों/आहर–पईन की मरम्मति भी पंचायत से कराने पर विचार चल रहा है। विभाग मात्र तकनीकी एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण करायेगा।

ऐसे में कतिपय अभियंताओं ने बैठक में यह पूछा कि मरम्मति कार्य हेतु जो टेंडर प्रमंडलों द्वारा निकाला गया है, उसके सम्बन्ध में क्या करना है ? इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जाती हैः–

(क) वैसे मरम्मति कार्य, जो टेंडर के बाद चल रही है, उनको पूरा किया जाय।

(ख) वैसे टेंडर जो प्रकाशित तो हुए और निविदा भी प्राप्त हुई और निविदा Final हुई और Work Order Issue हुआ किन्तु एकरारनामा नहीं हुआ वैसी स्थिति में एकरारनामा करके उक्त मरम्मति कार्य को पूरा कराया जाय।

(ग) वैसे मरम्मति कार्य जिनकी निविदा तो आमंत्रित की गयी, निविदा प्राप्त भी हुई, किन्तु Work Order नहीं निकला, उसमें आगे की प्रक्रिया रोक दी जाय।

(घ) वैसी मरम्मति कार्य जहाँ पर निविदा तो आमंत्रित की गयी है, किन्तु निविदा प्राप्ति में अभी विलम्ब है, वैसे निविदा में अग्रेत्तर कार्रवाई रोक दी जाय।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(के0के0पाठक)
प्रधान सचिव।
23/11/18